न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना, जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– सना खान, आरजेएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–17/2026 पीएस पाटन
सीआईएस संख्या– 12/2026
सीएनआर संख्या–RJSK070012532026

अपराध अन्तर्गत धारा–316(2), 319(2), 318(4), 61(2)(ए), 112(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट

रोशन पुत्र कैलाशचन्द उम्र 28 साल निवासी मीणों का मोहल्ला हसामपुर पीएस पाटन जिला सीकर

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिए सहायक लोक अभियोजक, नीमकाथाना

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितिः–

1. श्री गंगाराम गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त

2. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य सरकार।

दिनांक–14.05.2026

1	घटना की दिनांक व समय	दि. 01.07.25 से दि. 24.01.26 के मध्य
2	अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	दिनांकि 24.04.2026 समय 5.20 पीएम
3	जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12.05.2026
4	जमानत प्रार्थना पत्र	प्रथम
5	जमानत आदेश दिनांक	14.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसकी नकल योग्य अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई । बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई ।

2. बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

4. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.01.26 को प्रार्थी श्री

मोहनलाल स.उ.नि. पुलिस थाना पाटन जिला सीकर ने रिपोर्ट दर्ज करवायी कि साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु एमएचए–आई 4 सी गृह सचिव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश एवं श्रीमान महानिदेशक पुलिस साईबर क्राईम जयपुर के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 04.04.25. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर के पत्र क्रमांक जरेज/साईबर/2026/10 दिनांक 08.01.2026 तथा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जिला सीकर के आदेश क्रमांक 288–89 दिनांक 26.09.2025 एवं आदेश क्रमांक 588–90 दिनांक 17.01.2026 की पालना एवं थाना पर प्राप्त शिकायत 1930 में साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु साईबर फ्रॉड की राशि के ट्रान्जेक्शन में संलिप्त संदिग्ध खातों (mule account) के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान में थाना क्षेत्र में स्थित बैंक अकाउण्ट एवं निवासरत व्यक्तियों के संदिग्ध बैंक खातों जिनमें साईबर फ्रोड की राशि प्राप्त हुई कि सूची उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार प्राप्त होने पर सूची का अवलोकन किया गया एवं थाना क्षेत्र में निवासरत संदिग्ध साईबर फ्रॉड खाता धारक व्यक्तियों से पूछताछ हेतु मन हैड कानि. मोहनलाल को शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर मन हैड कानि० द्वारा थाना पर माह जुलाई 2025 से आज दिनांक तक प्राप्त शिकायत संख्या 31607250083152, 32407250023585, 32907250042097, 3290725004 4114 एसबीआई अकाउण्ट नम्बर 44217122541 के खाता धारक व शिकायत संख्या 31607250081917, 20506250022351 बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हसामपुर के खाता संख्या 43380100020234 के धारक के खिलाफ प्राप्त ऑनलाईन फ्रॉड कम्पलेन्ट के संबंध में अकाउण्ट एसबीआई नम्बर 44217122541 के धारक की डिटेल प्राप्त की जाकर खाता धारक रोशन मीणा पुत्र कैलाश चन्द मीणा से पूछताछ की गयी तो पूछताछ पर रोशन मीणा पुत्र कैलाश चन्द मीणा द्वारा हिमांशु नेहरा पुत्र श्रीपाल नेहरा निवासी जाटवास पुलिस थाना पाटन द्वारा एसबीआई शाखा पाटन जिला सीकर में खाता संख्या 44217122541 एवं बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हसामपुर में खाता संख्या 43380100020234 खुलवाया जाना बताया है व उक्त खातों के एटीएम कार्ड व बैंक पासबुक स्वयं के द्वारा लेकर जाना बताया। उक्त रोशन मीणा के बैंक खाते में जेएमआईएस पोर्टल (1930) पर म्युल अकाउण्ट संबंधित शिकायत संख्या 32407250023585, 31607250083152, 32907250044114, 329072500 42097, 20506250022351, 31607250081917 क्रमशः उड़ीसा, कर्नाटका, तमीलनाडु, बिहार, में अलग–अलग बार कुल 2,20,000/– रूपये ऑनलाईन फाईनेन्सियल फ्रॉड से रोशन मीणा के उक्त बैंक खातों में प्राप्त हुये। ऑनलाईन फ्रॉड में उपयोग लिये गये बैंक अकाउण्ट को अपने परिचित हिमांशु नेहरा पुत्र श्रीपाल नेहरा निवासी जाटवास पुलिस थाना पाटन को ऑनलाईन फ्रॉड के रूपये डलवाने के लिए उपलब्ध करवाये गये है। रोशन मीणा के एसबीआई बैंक पाटन के अकाउण्ट नम्बर 44217122541 व बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हसामपुर के खाता संख्या 43380100020234 में साईबर फ्रॉड की राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार बैंक खातों में ऑनलाईन फ्रॉड की राशि प्राप्त हुयी है जो जेएमआईएस पोर्टल (1930) पर प्राप्त शिकायत के अनुसार एक आपराधिक षडयंत्र रचकर आमजन को साईबर फ्रॉड, डमी मैसेज, सर्विस चार्ज, डिजिटल अरेस्ट इत्यादि तरीकों से छल व प्रवंचित कर इलेक्ट्रानिक साधनों का उपयोग करते हुये साईबर ठगी की राशि अपने बैंक खातों में प्राप्त

की है। उक्त राशि शख्स रोशन मीणा व हिमाशु नेहरा द्वारा आपसी षड्यंत्र कर अनुचित साधनों का उपयोग कर अनजान लोगों से साईबर ठगी करके प्राप्त की गई है आदि।

6. अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न हैः–

क्र.सं.	मु. नं.	धारा	थाना
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 316(2), 319(2), 318(4), 61(2)(ए),112(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट के आरोप विचारणीय है जिसके तहत अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिरूपण द्वारा छल, बेईमानी से सम्पत्ति के परिदान के लिए उत्प्रेरित करने, दो वर्ष से अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने लिए आपराधिक षड़यंत्र के, छोटे संगठित अपराध व आईटी एक्ट के अपराध का आरोप है। ऐसे में उपरोक्त कारणों तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त रोशन पुत्र कैलाशचन्द उम्र 28 साल निवासी मीणों का मोहल्ला हसामपुर पीएस पाटन जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति जरिए ईमेल अभियुक्त को जेल में प्रेषित की जावे।

(सना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना

9. आदेश आज दिनांक 14.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना

NITIN SAIN
Steno Gr. III
"AuthenticateDocument"
Digitally signed by
NITIN SAIN
Date: 2026.05.15
08:07:23 +0530